-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 03 मामलों में 05 अभियुक्तों को कुल 15 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप **अलग-अलग 03 मामलों में 05 अभियुक्तों को कुल 15 हजार रूपए के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।

अभियोग-

1. थाना पैलानी में पंजीकृत अभियोग- 46/2005 धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अभियुक्त राकेश उर्फ टहलू पुत्र बलवीर रैदास निवासी अमलौर थाना पैलानी जनपद बांदा को **3000 रूपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना बिसंडा में पंजीकृत अभियोग- 68/2002 धारा 452/323/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1- प्रेमचन्द्र पुत्र ऊधवा आरख 2- फूलचन्द्र पुत्र ऊधवा आऱख निवासीगण डभनी थाना बिसंडा जनपद बांदा को **जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 08 हजार रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
3. थाना पैलानी में पंजीकृत अभियोग- 04/2006 धारा 323/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1- रामरीत पुत्र वुल्ला केवट व 2- सन्तोष पुत्र जानकी प्रसाद केवट निवासीगण पिपरवा डेरा थाना पैलानी जनपद बांदा को **4000 रूपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।